न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 40/2018
RCMS Case No. 2018/00321

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
श्यामलाल पुत्र परसराम जाति पलीवाल ब्राहम्ण निवासी चण्डावल नगर तहसील सोजत		1. हुनवन्तसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी चण्डावल नगर तहसील सोजत 2. ग्राम पंचायत चण्डावल नगर जरिये सरपंच

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996

उपस्थित :–
श्री सुमेरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
श्री मांगीलाल प्रजापत, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांकः–22/2/19

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत चण्डावल नगर द्वारा मिसल संख्या 49/2012–13 के सम्बन्ध में पारित संकल्प संख्या 2 दिनांक 05.10.2017 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी का एक कब्जासुदा भूखण्ड ग्राम चण्डावल नगर में आया हुआ स्थित है। प्रार्थी राष्ट्रपति से सम्मानित भूतपूर्व सैनिक है। इस कारण ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी के पक्ष में भूखण्ड का निःशुल्क पट्टा जारी किया। इस पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष निगरानी याचिका प्रस्तुत की, जिसमें जाहिर किया कि जिस भूखण्ड का पट्टा प्रार्थी को दिया गया है, उस पर अप्रार्थी का कब्जा है तथा प्रार्थी के पास पूर्व से मकान उपलब्ध होना बताते हुए पट्टा खारिज कराने का निवेदन किया। जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में प्रार्थी के पट्टासुदा मकान स्थित होने तथा निःशुल्क भूखण्ड आवंटन न कर रियायती दर पर आवंटन कराने हेतु पूर्व में जारी पट्टा निरस्त कर प्रकरण पुनः सुनवाई कर विधि सम्मत कार्यवाही हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया। वास्तविक तौर पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जिस मकान को प्रार्थी का बताया, वह मकान प्रार्थी का न होकर एक अन्य श्यामलाल का था, जिसकी ताईद ग्राम पंचायत द्वारा गठित कमेटी की रिपोर्ट से होती हैं। इसके अतिरिक्त पंचायती राज नियमों में भूतपूर्व सैनिकों को निःशुल्क भूखण्ड आवंटन के प्रावधान उपलब्ध होने के बावजूद भी न्यायालय हाजा द्वारा रियायती दर पर भूखण्ड आवंटन हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया, किन्तु

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि को नीलाम करने के आदेश पारित किए, जो विधि विरूद्ध हैं। जैर निगरानी विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का कब्जा है तथा अपीलाण्ट द्वारा भूमि की चारदीवारी करवाई है, जिसे अप्रार्थी द्वारा तोड दिया गया हैं। प्रार्थी के नाम ग्राम चण्डावल नगर में कोई भू–खण्ड नहीं हैं तथा इसके अतिरिक्त भी यदि रियायती दर पर भूखण्ड प्रार्थी को प्रदान किया जाता है, तो भी प्रार्थी राशि जमा कराने को तैयार हैं। अतः ग्राम पंचायत द्वारा पारित जैर निगरानी आज्ञा को अपास्त करावें एवं अप्रार्थी संख्या 1 को भूखण्ड आवंटन कराने के आदेश पारित करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर निगरानी विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी निगरानी याचिका के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, जिनको दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टे को अपास्त करते हुए प्रकरण पुनः ग्राम पंचायत को प्रतिप्रेषित किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए जैर निगरानी आज्ञा पारित की है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं हैं। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में समक्ष न्यायालय में चाराजोही करने के निर्देश दिए है, उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा सिविल न्यायालय के समक्ष जैर अपील विवादित भूमि के सम्बन्ध में स्वत्व के निर्धारण हेतु वाद भी प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है। इस कारण ग्राम पंचायत द्वारा जारी आज्ञा में किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं हैं। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रकरण में जैर निगरानी आज्ञा के सम्बन्ध में इस न्यायालय से निर्णीत निगरानी संख्या 22/2015 में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 08.06.2017 को जिन दो आधारों पर प्रार्थी के नाम जारी पट्टे को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया था, वे इस प्रकार है – प्रथम :– प्रार्थी श्यामलाल के पट्टासुदा मकान जिसके पट्टा संख्या 0087 दिनांक 24.07.2002 जारी सुदा है, इस कारण वह निःशुल्क भूखण्ड आवंटन हेतु योग्यता नही रखता है। द्वितीय :– नियम 158 के तहत निःशुल्क भूमि आवंटन नहीं की जा सकती है। इन दो आधारों पर प्रार्थी के नाम जारी पट्टे को अपास्त किया गया था तथा प्रकरण ग्राम पंचायत को पुनः जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया था। उक्त निर्णय की पालना में ग्राम पंचायत द्वारा श्यामलाल के पट्टासुदा मकान की जांच हेतु कमेटी गठन की। उक्त कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 20.09.2017 में यह अंकित किया कि पट्टा संख्या 87/98–99, जो दिनांक 24.07.2002 को जारी किया गया है, वह प्रार्थी श्यामलाल पुत्र परसराम जाति ब्राहम्ण (पालीवाल) का न होकर श्यामलाल पुत्र परसराम जाति व्यास आमेटा ब्राहम्ण का हैं। इस पर प्रार्थी के नाम ग्राम चण्डावल नगर में पट्टासुदा मकान नहीं होने की पुष्टि होती हैं। प्रार्थी द्वारा जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए है, उनके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि जैर निगरानी विवादित आराजी पर प्रार्थी का कब्जा है तथा इस तथ्य से इन्कार नहीं किया गया है कि प्रार्थी भूतपूर्व सैनिक हैं। इस स्थिति में प्रार्थी नियम 159 के तहत पट्टा प्राप्त करने का अधिकारी था। इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा भूमि नीलाम करने के आदेश पारित किए है, जो समर्थन योग्य नहीं हैं।

अति० जिला कलेक्टर, पाली

परिणाम स्वरूप निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत चण्डावल नगर द्वारा मिसल संख्या 49/2012–13 के सम्बन्ध में पारित संकल्प संख्या 2 दिनांक 05.10.2017 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इन निर्देशों के साथ ग्राम पंचायत चण्डावल नगर को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए नियम 159 के तहत नियमानुसार पट्टा जारी करने की कार्यवाही करें। निर्णय की सत्य प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 22/2/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली